

20/11/19

यह बाड़ राज्य सरकार की कृषि से तहसीलदार पांवरामगढ़ के अन्तर्गत धारा 88 R.O. Act के तहत पेअ किया। बाड़ पत्र रीजिएर हो। कलपी हेतु प्रतिवादी श्वेता, रामचन्द्र व अन्य अपीकरण हेतु आश किया।

रमेश चन्द्र शर्मा  
रामचन्द्र शर्मा  
श्वेता

प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत बाड़ पत्र में अंकित किया कि, वर्तमान में संगीविज्ञान का कार्य तहसील पांवरामगढ़ (पपपुर) में चल रहा है। संगीविज्ञान के दौरान गाऊ विरासत तहसील पांवरामगढ़ जिला पपपुर की बाण पत्रावली संवत् 2074-75 के खतों को प्रांच की गई है। प्रांच कि खाता सं. 34 के अन्तर्गत 321 में खातेदारों के हिसाब सही दर्ज नहीं है। इसलिये किने जान हेतु निवेदन किया।

तहसीलदार पांवरामगढ़ के फाईल में फाईल रिपोर्ट दिनांक 15/11/19 पेअ की जाते। पत्रावली में शामिल रहे पत्रावली का अन्वेषण किया। तहसीलदार पांवरामगढ़ की फाईल में फाईल रिपोर्ट पर गौर किया। गौर उपरान्त राज्य सरकार की योजना DILRMP व R.O. Act की धारा 88 के तहत तहसीलदार पांवरामगढ़ की फाईल में फाईल रिपोर्ट अन्वेषण खातेदारों के हिसाब दुबल करने के कारण तहसीलदार पांवरामगढ़ फाईल जाते है। तदनुसार राजपत्र लिंक में अन्वेषण करे।

निष्कर्ष व फाईल में फाईल रिपोर्ट की जाते तहसीलदार पांवरामगढ़ के अन्वेषण पत्रावली फाईल में अन्वेषण करे। गौर से बाड़ पत्र में अन्वेषण हेतु किने सुभाष गण।

उपखण्ड अधिकारी

